न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 256/2023

वाद पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.

1 गुरमीत सिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

2 गुरजिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

–वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम्

1. कर्मजीत कौर पुत्री कौरसिंह
2. गुंरचरण सिंह पुत्र कौरसिंह
3. रमनप्रीत कौर पुत्री गुरचरण सिंह
4. हरविंन्द्र सिंह गिल पुत्र गुरचरण सिंह
5. किरणदीप कौर पुत्री मनजीत कौर पुत्री कौरसिंह
6. अमनदीप सिंह पुत्र मनजीत कौर पुत्री कौरसिंह
7. गुरविन्द्र सिंह पुत्र मनजीत कौर पुत्री कौरसिंह
8. तहसीलदार(राजस्व)संगरिया

जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री सुनील टांडी – वकील वादीगण
2. श्री प्रदीप जाखड – वकील प्रति स 1 ता 7

निर्णय **दिनांक :– 12/06/2023**

वादीगण गुरमीत सिंह ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एव खाता तक्सीम के तहत दिनांक 07–06–2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी स 1 की माता व वादी स 2 की दादी मृत्क बलवन्त कौर के नाम तहसील संगरिया के चक न 15 .बी.जी.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 109/74 मे 2.657है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कि वादी स 1 की माता व वादी स 2 की दादी मृत्क बलवन्त कौर के नाम तहसील संगरिया के चक न 15 .बी.जी.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 109/74 मे 2.657है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एव प्रतिवादी स 1 ता 7 एक ही हिन्दु सयुक्त परिवार के सदस्य है। जो बलवन्त कौर पत्नी कौर सिंह के कानुनी व जायज वारीसान है। कि वादीगण एव प्रतिवादी स 1 ता 7 एक ही हिन्दु सयुक्त परिवार के सदस्य है। जो मृत्क बलवन्त कौर के जायज वारीसान है। वादी स 1 व प्रतिवादी स 1 व 2 की माता व वादी स 2 प्रतिवादी स 3 व 4 की दादी व प्रतिवादी स 5 ता 6 की नानी बलवन्त कौर के नाम तहसील संगरिया के चक न 15 .बी.जी.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 109/74 मे 2.657है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि मे वादी स 1 व प्रतिवादी स 1 व 2 का 3/4 हिस्सा विरासतन बनता है। व प्रतिवादी स 5 ता 6 का उक्त भूमि 1/4 हिस्सा विरासतन बनता है। वादी स 2 व प्रतिवादी स 3 व 4 का प्रतिवादी स 2 के हक व हिस्सा मे 3/4 हिस्सा जन्म से बनता है। प्रतिवादी स 1 व प्रतिवादी स 5 ता 6 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादी स 1 के पक्ष मे 1/2 व वादी स 2 के पक्ष मे 1/2 हिस्सा कर दिया है व प्रतिवादी स 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादी स 2 के पक्ष मे ब.ही.ब कर दिया है। प्रतिवादी स 2 व 4 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि दूसरी जगह प्राप्त कर ली है। इसलिए मृतक बलवन्त कौर के नाम दर्ज भूमि मे वादी स 1 का 1/2 हिस्सा व

...के संग अभियान 2023
प्रभारी (SDO)
...स्थल...

वादी स 2 का 1/2 हिस्सा विरासतन बनता है। इसी अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है। कि वादी स 1 की माता व वादी स 2 की दादी मृतक बलवन्त कौर के नाम तहसील संगरिया के चक न 15 .बी.जी.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 109/74 मे 2.657है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वादीगण के कब्जा काश्त मे है। तथा कब्जा काश्त बाबत वादीगण व प्रतिवादी के बिच कोई विवाद नही है। परन्तु खाता विवादीत होने के कारण वादीगण को फसली ऋण लेंने व फसल बेचने व बिजली कनैक्शन लेने जैसी अनेक कठानाईयेा का सामना करना पड रहा है। इसलिए वादीगण अपना खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

(क) वादी स 1 गुरमीत सिंह पुत्र कौरसिंह हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि

चक न 15 .बी.जी.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 109/74

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
176/151	39	6/3/0.114है,
		6/2/0.0125है0(गे.मु.रास्ता कि.न.15 से चिपता दक्षिण दिशा मे)
		7/0.126है (कि.न 14 से चिपता दक्षिण दिशा)
		12,13,14/0.253है0प्र ,15/1/0.228है0
		15/2/0.025है गे.मु.रा
	कुल–1.2645है नहरी मैय .गे.मु	

(ख) वादी स 2 गुरजिन्द्र सिह पुत्र गुरचरण सिंह के हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि

चक न 15 .बी.जी.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 109/74

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
176/150	32	16/1/0.228है, 16/2/0.025है गे.मु.रा
		17,18/0.253है0प्र
176/151	39	3/0.253है0, 4/2/0.127है (कि.न.3 से चिपता पशिचम दिशा मे)
		6/1/0.114है0 नहरी 6/2/0.0125है गे.मु.रा (कि.न 5 से चिपता उतर दिशा मे)
		7/0.127है (उतर दिशा मे कि.न 4 से चिपता)
		कुल–1.3925है मेय गे.मु

कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। की प्रतिवादी संख्या 8 को लैंण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। की वादपत्र बाबत घोषणा एव तकसीम खाता का है जो 4 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें। कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाकर वादी स 1 की माता व वादी स 2 की दादी मृतक बलवन्त कौर का नाम कलमजंन किया जावे।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी स 8 का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाकर वादी स 1 की माता व वादी स 2 की दादी मृतक बलवन्त कौर का नाम कलमजंन किया जावे। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का आपस में राजीनामा हो जाने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने हाजिर आकर अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अत : वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाकर वादी स 1 की माता व वादी स 2 की दादी मृतक बलवन्त कौर का नाम कलमजंन किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक–12/06/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

12/6/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
(SDO)
शिविर स्थल रतनपुरा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 256 / 2023

वाद पत्र अं.धारा :– 88 / 53 आर.टी.ए

1. गुरमीत सिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

–वादीगण

बनाम्

1 कर्मजीत कौर पुत्री कौरसिंह
2 गुरचरण सिंह पुत्र कौरसिंह
3 रमनप्रीत कौर पुत्री गुरचरण सिंह
4 हरविंन्द्र सिंह गिल पुत्र गुरचरण सिंह
5 किरणदीप कौर पुत्री मनजीत कौर पुत्री कौरसिंह
6 अमनदीप सिंह पुत्र मनजीत कौर पुत्री कौरसिंह
7 गुरविन्द्र सिंह पुत्र मनजीत कौर पुत्री कौरसिंह

(1 से 7) जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

8 तहसीलदार(राजस्व)संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनांकः– 12 / 06 / 2023

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील टांडी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई प्रदीप जाखड़ वकील प्रतिवादी स 1 ता 7 एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता हैः व निम्नानुसार डिक्री दी जाती हैः– कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाकर वादी स 1 की माता व वादी स 2 की दादी मृतक बलवन्त कौर का नाम कलमजंन किया जाता है। वाद पत्र की चरण स 5 निम्न प्रकार है।

(क) वादी स 1 गुरमीत सिंह पुत्र कौरसिंह हक व हिरसा व कब्जा काश्त की भूमि

चक न 15 .बी.जी.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 109 / 74

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
176 / 151	39	6 / 3 / 0.114है,
		6 / 2 / 0.0125है0(गे.मु.रास्ता कि.न.15 से चिपता दक्षिण दिशा मे)
		7 / 0.126है (कि.न 14 से चिपता दक्षिण दिशा)
		12,13,14 / 0.253है0प्र ,15 / 1 / 0.228है0
		15 / 2 / 0.025है गे.मु.रा

कुल– 1.2645है नहरी मैय .गे.मु

(ख) वादी स 2 गुरजिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह के हक व हिरसा व कब्जा काश्त की भूमि

चक न 15 .बी.जी.पी ज.स 2072–2075 के खाता स 109 / 74

पं.नं. मु.नं. किला नं.

12/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल...

176/150	32	16/1/0.228है, 16/2/0.025है गे.मु.रा 17,18/0.253है0प्र
176/151	39	3/0.253है0, 4/2/0.127है (कि.न.3 से चिपता पशिचम दिशा मे) 6/1/0.114है0 नहरी 6/2/0.0125है गे.मु.रा (कि.न 5 से चिपता उतर दिशा मे) 7/0.127है (उतर दिशा मे कि.न 4 से चिपता) कुल–1.3925है मेय गे.मु

राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
नोट :– रहन फक होने पर इतकाल दर्ज किया जावे।
निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत्...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X...अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक–12/06/2023.को जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

12/6/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान...2023
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
शिविर स्थल...रतनपुरा